न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 57/2015 अपील (रसद)

श्री नन्द भंवर सिंह पिता सज्जन सिंह राजपूत , निवासी आमल्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. जिला रसद अधिकारी भीलवाडा

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण संख्या 34/2009 बअनवान सरकार बनाम नन्दभंवर सिंह निर्णय दिनांक 28.09.2015 अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ आदेश 1976

उपस्थित –

1. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय प्रतिनिधि – रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 09/01/2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाडा बमामले प्रकरण सं0 34/2009 निर्णय दिनांक 28.09.2015 के खिलाफ दिनांक 20.10.2015 को प्रस्तुत किया प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक जहाजपुर द्वारा दिनांक 15.06.2009 को उक्त डीलर की जांच कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । जांच में उचित मूल्य दुकान आमल्दा तहसील जहाजपुर द्वारा गम्भीर अनियमितता किया जाना पाया गया । डीलर द्वारा माह मार्च 2009 में केवल 35 प्रतिशत एपीएल गेहूं का वितरण किया गया। शेष गेहूं का वितरण माह मई 2009 में किया गया । डीलर द्वारा स्टॉक बिक्री रजिस्टरों का दैनिक संधारण नहीं किया जाता है । डीलर द्वारा सरपंच से राशन सामग्री की आवक का सत्यापन नहीं कराया गया । श्री अमरेन्द्र मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक जहाजपुर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि श्री नन्दभंवर सिंह उचित मूल्य दुकानदार आमल्दा तहसील जहाजपुर द्वारा राशन सामग्री वितरण में की गई। उपरोक्त अनियमितताओं बाबत आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लघंन के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र सं. 586 /1999 को आदेश क्रमांक /रसद/2009/193 दिनांक 25.06.2009 से अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया एवं अटेचमेण्ट ग्राम सेवा समिति अमरगढ तहसील जहाजपुर के साथ किया गया। आदेश 1976 के उल्लंघन का उक्त विभागीय प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया व दिनांक 28.09.2015 को न्यायालय रसद विभाग भीलवाडा द्वारा निर्णय पारित किया गया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का समुचित अवलोकन न कर जो निर्णय पारित किया वह विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थी ने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ किया व अपीलार्थी द्वारा वितरण में कभी कोई अनियमितता नहीं बरती गई व उपभोक्ता भी कभी अपीलार्थी के कार्य से असंतुष्ट नहीं रहे, न ही उनकी ओर से कोई शिकायत की गई । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पूर्णतः विधि के नियमों की पालना नहीं की गयी । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 34 /2009 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 को निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करावें ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.10.2015 को पंजीबद्ध की

जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

दिनांक 04.01.2017 को अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता का अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकान से जो उपभोक्ता माह मार्च में गेहूं लेने आये, उनको मार्च में गेहूं वितरण किया गया। शेष गेहूं स्टॉक में दर्शाये गये । माह अप्रैल में परिवार एवं रिश्तेदार /रिश्तेदारियों में शादियां होने से सामाजिक कार्य में व्यस्त रहने से ए.पी.एल. गेहूं वितरण नहीं कर पाया । मई 2009 में शेष गेहूं उपभोक्ताओं को वितरण कर दिये गये। स्टॉक रजिस्टर के दैनिक संधारण के संबंध में निवेदन है कि जिस दिन राशन सामग्री का आहरण-वितरण होता है उस दिन स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया है तथा भविष्य में दैनिक रूप से संधारण किया जायेगा। राशन प्राप्ति सत्यापन के संबंध में निवेदन है कि राशन सामग्री आहरण वितरण की देख रेख हेतु सर्तकता समिति गठित है । जिससे राशन सामग्री प्राप्ति का प्रमाणीकरण कभी कभी सरपंच द्वारा एवं कभी कभी सरपंच के अलावा अन्य सदस्यों से भी कराया जाता है , जिसे थोक विक्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है । अतः निवेदन है कि न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 34 /2009 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 को निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि श्री अमरेन्द्र मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक जहाजपुर द्वारा दिनांक 15.06.2009 को उक्त डीलर की जांच की गयी । जांच रिपोर्ट में पाया गया कि डीलर द्वारा माह मार्च 2009 में केवल 35 प्रतिशत एपीएल गेहूं का वितरण किया गया। शेष गेहूं का वितरण माह मई 2009 में किया गया । डीलर द्वारा स्टॉक बिक्री रजिस्टरों का दैनिक संधारण नहीं किया जाता है । डीलर द्वारा सरपंच से राशन सामग्री की आवक का सत्यापन नहीं कराया गया । डीलर द्वारा उक्त अनियमितताओं बाबत् राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 का स्पष्ट उल्लंघन करना पाये जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा डीलर श्री नन्द भंवर सिंह को जारीशुदा प्राधिकार पत्र सं. 586/1999 निरस्त करते हुए समस्त जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये जो विधि सम्मत होकर युक्तियुक्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। अतः तदनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है , अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ अधिनियम 1976 की धारा 22 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा बमामले प्रकरण सं0 34/2009 निर्णय दिनांक 28.09.2015 के क्रम में खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने के आदेश किये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रेकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा